सार समाचार

मराठा आरक्षण पर शीर्ष न्यायालय की रोक से स्तब्ध हूं

मुंबई, भाषा। भाजपा नेता एवं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने बृहस्पतिवार को

कहा कि मराठा आरक्षण के क्रियान्वयन पर रोक लगाने के उच्चतम न्यायालय के फैसले से वह स्तब्ध हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता फड़णवीस ने कहा कि शीर्ष न्यायालय का इस संबंध में फैसला असाधारण है, क्योंकि बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मराठा समुदाय के लोगों को आरक्षण मुहैया करने वाले 2018 के अधिनियम को कायम रखा था। उल्लेखनीय है कि शीर्ष न्यायालय ने पिछले हफ्ते इस अधिनियम के क्रियान्वयन पर स्थगन आदेश जारी किया और इसे एक बड़ी संविधान पीठ के पास भेज दिया। फड़णवीस ने एक न्यूज चैनल से कहा, ''जब मैंने शीर्ष न्यायालय के स्थगन आदेश के बारे में सुना, तब मैं स्तब्ध रह गया। '' यह अधिनियम उस वक्त पारित किया गया था, जब राज्य में फड़णवीस नीत भाजपा-शिवसेना सरकार सत्ता में थी। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर राज्य की मौजूदा शिवसेना नीत सरकार पर तंज भी किया।

येदियुरप्पा कैबिनेट विस्तार पर चर्चा करने दिल्ली पहुंचे

नई दिल्ली, भाषा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा भाजपा के शीर्ष नेताओं के

साथ राज्य में कैबिनेट विस्तार पर चर्चा करने के लिए बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे। मुख्यमंत्री येदियुरप्पा अपने इस दो दिवसीय दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा और केंद्रीय मंत्रियों के साथ राज्य के मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। येदियुरप्पा ने यहां संवाददाताओं से कहा, ''मैं राज्य के विकास कार्यों के बारे में कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ चर्चा करने दिल्ली आया हूं। साथ ही मैं पार्टी के नेताओं के साथ मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा करूंगा और उनके विचार जानूंगा।''

संसद/राजनीति

विपक्ष ने कृषि संबंधी विधेयकों का किया विरोध, सरकार ने 'परिवर्तनकारी' बताया

नई दिल्ली ■ भाषा

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि उपज एवं कीमत आश्वासन संबंधी विधेयकों को 'परिवर्तनकारी' बताते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य दिलाना सुनिश्चित होगा और उन्हें निजी निवेश एवं प्रौद्योगिकी भी सुलभ हो सकेगी।

तोमर ने लोकसभा में कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सुविधा) विधेयक-2020 और कृषक (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक-2020 को चर्चा एवं पारित होने के लिये पेश करते हुए यह बात कही ।

कांग्रेस और अन्य दल विधेयक का विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क है कि यह एमएसपी प्रणाली द्वारा किसानों को प्रदान किए गए सुरक्षा कवच को कमजोर कर देगा और बड़ी कंपनियों द्वारा किसानों के शोषण की स्थिति को जन्म देगा। विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि किसानों के लिए काला कानून लाया जा रहा है। इससे किसानों को बख्श देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सरकार का सहयोगी शिरोमणि अकाली दल भी विधेयक के खिलाफ बोला है।

भाजपा के वीरेंद्र सिंह ने विधेयकों को किसानों के लिए लाभकारी बताते हुए कहा कि यह आजादी के बाद पहली सरकार है जिसने किसानों की समृद्धि के लिये काम किया।

आरएसपी के एन के प्रेमचंद्रन ने आरोप लगाया कि सरकार ने कोविड-19 के हालात का फायदा उठाते हए इन अध्यादेशों को लाकर कृषि क्षेत्र को बर्बाद करने का प्रयास किया है।

उन्होंने अध्यादेश और संबंधित विधेयकों का विरोध करते हुए मांग की कि विधेयकों को संसदीय स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए ।

बहरहाल, तोमर ने कहा, '' ये विधेयक आने वाले समय में

किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने वाले हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि के क्षेत्र में कई योजनाओं का सृजन हुआ है। उनका लाभ भी कृषि क्षेत्र को मिल रहा है।''

उन्होंने कहा, '' अभी तक किसान अपने उत्पाद के लिए मंडी की जंजीरों से बंधा था। इस विधेयक से उसे पूरी स्वतंत्रता मिलेगी। इस विधेयक के कानून बनने के बाद किसान अपने घर, खेत और सभी स्थानों से कारोबार के लिए स्वतंत्र होंगे।''

तोमर ने यह दावा भी किया कि इस विधेयक से राज्य के कानूनों का अधिग्रहण नहीं होता।

कृषक (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक-2020 का जिक्र करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि देश में 86 प्रतिशत किसान छोटे हैं जो निवेश नहीं कर पाते और ना ही निवेश का लाभ प्राप्त कर पाते। लेकिन कीमत पहले से निर्धारित होने से वे फायदे की खेती कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि इन कानूनों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एमएसपी थी, है और जारी रहेगी।

तोमर ने कहा कि प्रस्तावित कानून कृषि उपज के बाधा मुक्त व्यापार को सक्षम बनायेगा। साथ ही किसानों को अपनी पसंद के निवेशकों के साथ जुड़ने का मौका भी प्रदान करेगा।

मंत्री ने कहा कि यह पहल, सरकार के देश के किसानों के कल्याण के लिए उसकी निरंतर प्रतिबद्धता के तहत किये गये तमाम उपायों की श्रृंखला में उठाया गया ताजा कदम है। किसान उपज व यापार एवं वाणिज् य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक, 2020 में एक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का प्रावधान किया गया है। इसमें किसान और व यापारी विभिन् न राज् य कृषि उपज विपणन विधानों के तहत अधिसूचित बाजारों के भौतिक परिसरों या सम-बाजारों से बाहर पारदर्शी और बाधारहित प्रतिस् पर्धी वैकल्पिक व यापार चैनलों के माध् यम से किसानों की उपज की खरीद और बिक्री लाभदायक मूल् यों पर करने से संबंधित चयन की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। वहीं, किसान (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) का मूल् य आश् वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक, 2020 में कृषि समझौतों पर राष् ट्रीय ढांचे के लिए प्रावधान है, जो किसानों को कृषि व्यापार फर्मों, प्रोसेसरों, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों या बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ कृषि सेवाओं और एक उचित तथा पारदर्शी तरीके से आपसी सहमति वाला लाभदायक मूल्य ढांचा उपलब्ध कराता है।

पीडीपी ने की गिरफ्तार नेताओं की रिहाई की मांग

नई दिल्ली, वार्ता। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मीर मोहम्मद फैयाज ने जम्मू -कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किये जाने के बाद गिरफ्तार किये गये राजनीतिक दलों के नेताओं को तुरंत रिहा करने की गुरुवार को मांग की ।

फैयाज ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि पिछले साल पांच अगस्त के बाद राज्य की मुख्यधारा की पार्टियों के बड़ी संख्या में नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया या उन्हें घरों में नजरबंद कर दिया गया।इनमें से अब भी सैकड़ों नेताओं को रिहा किया जाना है।उन्होंने कहा ऐसे नेताओं में कई पूर्व मुख्यमंत्री , पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक हैं। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी शामिल हैं।वह तीन बार सांसद और दो बार विधायक रही हैं जिन्हें देश के लिए खतरा बताया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में फर्जी मुठभेड़ हो रही है। राजनीतिक दलों के नेता डरते हैं और उन्हें लगता है कि वे राज्य के खिलाफ बोलेंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जायेगा ।

सिविल परीक्षा से सीसैट हटाने का प्रस्ताव नहीं

नई दिल्ली ■ भाषा

केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को स्पष्ट किया कि सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) से सिविल सेवा एप्टीट्यूट टेस्ट (सीसैट) को हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। देश में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) सिविल सेवा परीक्षा का संचालन करता है। इसके तीन चरण - प्राथमिक, प्रधान और साक्षात्कार होते हैं। इन परीक्षाओं के माध्यम से देश में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) सहित कुछ अन्य पदों के लिए अधिकारियों का चयन होता है। सीसैट सिविल सेवा के प्राथमिक चरण का हिस्सा है।

राज्यसभा में एक लिखित सवाल में पूछा गया था कि क्या सिविल सेवा परीक्षा के लिए सीसैट को हटाने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव है ? इसके जवाब में कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्यमंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा, ''नहीं ''। यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने जा रही है, जिसमें साक्षात्कारों के स्थान पर मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया जाना शामिल है, सिंह ने जवाब ''ना'' में दिया।

सीमा पर अप्रैल की यथास्थिति बहाल करने की मांग

नई दिल्ली ■ भाषा

राज्यसभा में बृहस्पतिवार को विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने सरकार से भारत-चीन सीमा पर इस साल अप्रैल वाली यथास्थिति बहाल करने को कहा। उच्च सदन में विभिन्न पार्टियों के सदस्यों ने दलगत भावना से ऊपर उठते हुए सशस्त्र बलों के प्रति अपनी एकजुटता जतायी जो पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना के खिलाफ सामने खड़े हैं।

कांग्रेस नेताओं गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा और पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने सरकार से अप्रैल वाली यथास्थिति बहाल करने और सीमा गतिरोध को हल करने के लिए प्रयास करने को कहा। बीजद के प्रसन्न आचार्य, शिवसेना के संजय राउत सहित कुछ सदस्यों ने सरकार से कहा कि वर्तमान स्थिति में चीन के साथ कोई भी समझौता करते समय वह सावधान रहे। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख की स्थिति के संबंध में

राज्यसभा में एक बयान दिया।

सरकार और विपक्ष की सहमति बनी थी कि इस संवेदनशील मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं होगी।

सभापति एम वेंकैया नायडू ने हालांकि सदस्यों को बयान पर कुछ स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दी। कांग्रेस के आनंद शर्मा ने कहा कि इस बारे में कोई शंका नहीं रहनी चाहिए कि भारत में एकता नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि पूरे देश से यह आवाज गूंजनी चाहिए कि हमें अपनी सेना पर गर्व है। शर्मा ने जोर दिया कि सीमा पर दोनों देशों के बीच तनाव पैदा होने के पहले वाली स्थिति बहाल होनी चाहिए।

पूर्व रक्षा मंत्री एंटनी ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी कभी विवादित स्थान नहीं था। उन्होंने कहा कि गलवान घाटी में एंटनी ने उच्च सदन में सिंह के बयान पर स्पष्टीकरण मांगते हुए कहा, आपको स्पष्ट करना होगा कि संप्रभुता का मतलब अप्रैल के मध्य तक की यथास्थिति है।' पूर्व रक्षा मंत्री ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी कभी विवादित स्थल नहीं थी। उन्होंने कहा कि गलवान घाटी में भी हमारे सैनिकों को अब उस बिंदु तक गश्त करने की अनुमति नहीं है, जहां वे पहले गश्त करते थे। सदन में नेता प्रतिपक्ष आजाद ने कहा कि देश की एकता और अखंडता के मुद्दे पर हम सब एक हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी चीन के साथ विवाद के मुद्दे पर पूरी तरह से सरकार के साथ खड़ी है। लेकिन कोई समझौता नहीं होना चाहिए और अप्रैल में वे (चीनी सैनिक) जहां थे, उन्हें वहीं जाना चाहिए।

कोविड-19 पर रास में भिड़े भाजपा-आप के सदस्य

नई दिल्ली ■ भाषा

आम आदमी पार्टी (आप) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्य राज्यसभा में कोविड-19 के प्रबंधन मुद्दे पर बृहस्पतिवार को आपस में भिड़ गए। आप ने ताली और थाली बजाने तथा दीप जलाने जैसे कार्यक्रमों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान का उपहास करते हुए इन्हें ''मूर्खतापूर्ण'' कदम बताया वहीं भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के ही निर्णयों का परिणाम है कि भारत आज दृढ़ता से इस बीमारी का मुकाबला कर रहा है।

कोविड-19 के संबंध में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन द्वारा उच्च सदन में दिए गए एक बयान पर चर्चा में भाग लेते हुए आप के संजय सिंह ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में इस ''आपदा को अवसर'' बनाते हुए घोटाले किए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि आक्सीमीटर और थर्मामीटर खरीदने तक में घोटाले हुए और भ्रष्टाचार के आरोप में ही भाजपा के एक प्रदेश अध्यक्ष को गिरफ्तार तक किया गया। सिंह ने ताली और थाली बजाने तथा दीप जलाने जैसे कार्यक्रमों का उपहास करते हुए इन्हें ''मूर्खतापूर्ण'' कदम बताया और कहा कि इस कोरोना संकट के दौरान दिल्ली सरकार ने अनुकरणीय काम किया और दुनिया भर में दिल्ली मॉडल की चर्चा हो रही है।

आप नेता पर पलटवार करते हुए भाजपा के सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ताली, थाली जैसे कार्यक्रमों का प्रधानमंत्री का आह्वान सांकेतिक था और इसके जरिए उन्होंने देश को सामाजिक रूप से एकजुट करने का प्रयास किया। उनका यह कदम ठीक वैसा ही था जैसा महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ''चरखा'' को राष्ट्र को एकजुट करने के संकेत के रूप में चुना।

कोरोना वायरस संक्रमण के भारत में फैलने के शुरुआती दिनों में प्रधानमंत्री ने ताली, थाली बजाने और दीपक जलाने जैसे कार्यक्रमों का आह्वान किया था। भाजपा नेताओं का कहना रहा है कि ऐसा करने के पीछे प्रधानमंत्री का उद्देश्य कोरोना योद्धाओं का सम्मान करना था जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। संजय सिंह के आरोपों का जवाब देते हुए त्रिवेदी ने कहा, ''दिया जलाना, थाली पीटना और ताली बजाना जैसे आह्वान कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उठाए गए सांकेतिक कदम थे...क्या चरखे के इस्तेमाल से अंग्रेज देश छोड़कर भाग जाते...चरखा सांकेतिक था जिसे महात्मा गांधी ने देश को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट करने के लिए एक संकेत के रूप में उपयोग किया।

सुर्खियां

आठ विपक्षी दलों ने जीएसटी बकाये को लेकर विरोध प्रदर्शन किया

कांग्रेस को आमंत्रित नहीं किया।

नई दिल्ली ■ भाषा

जीएसटी बकाये के भुगतान की मांग को लेकर आठ विपक्षी दलों के नेताओं ने बृहस्पतिवार को सरकार के खिलाफ संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस नेता अनुपस्थित थे।

विरोध प्रदर्शन के बाद एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को विरोध प्रदर्शन के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था।

इस विरोध प्रदर्शन में तृणमूल कांग्रेस, तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस), राष्ट्रीय जनता दल (राजद), आम आदमी पार्टी (आप), द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके), समाजवादी पार्टी (सपा), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) और शिवसेना के नेताओं ने हिस्सा लिया। डेरेक ओ'ब्रायन ने कहा, ''यह निरंतर स्पष्ट होता जा रहा है कि संसद में, क्षेत्रीय दलों को एक-दूसरे के साथ रणनीतिक रूप से समन्वय करना आसान हो रहा है। कांग्रेस अब मुद्दे और विपक्षी रणनीति का फैसला नहीं कर सकती। वह राज्यों में कुछ नहीं कर सकती और संसद में समर्थन की अपेक्षा करती है।'' यह विरोध प्रदर्शन लगभग 15 मिनट तक चला जिसमें अखिलेश यादव, सुप्रिया सुले, मनोज झा, संजय सिंह जैसे नेताओं ने बैनर और थालियों को लेकर यह दिखाने की कोशिश की कि केन्द्र के द्वारा राज्यों को जीएसटी बकाये के तौर पर क्या भुगतान किया गया है।

देश में कोविड मृत्यु दर घट कर एक फीसदी से नीचे लाने का लक्ष्य : स्वास्थ्य मंत्री

नई दिल्ली, भाषा। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्द्धन ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश में कोविड-19 से होने वाली मौत की दर फिलहाल, दुनिया के अन्य देशों की तुलना में सबसे कम (1.64) फीसदी है और सरकार का लक्ष्य इस मृत्यु दर को घटा कर एक फीसदी से भी कम करने का है। कोरोना वायरस महामारी पर राज्यसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्द्धन ने कहा कि भारत में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर 78 से 79 फीसदी है। उन्होंने कहा कि भारत कोविड-19 से स्वस्थ होने की उच्च दर वाले गिने-चुने देशों में शामिल है।

संसद : समाचार

कोविड-19

'पीएम केयर्स फंड' से राज्यों की मदद करे केंद्र

नई दिल्ली ■ भाषा

कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई का राजनीतिकरण नहीं किये जाने की बात पर जोर देते हुए शिवसेना ने बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह राज्यों को कोरोना वायरस की स्थिति से निपटने में उनकी मदद करने के लिए 'पीएम केयर्स फंड' से धन जारी करे और जीएसटी के उनके हिस्से का भुगतान करे।

राज्यसभा में कोरोना वायरस महामारी और इससे निपटने के लिए केंद्र द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा के दौरान, शिवसेना के संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा इस महामारी के नियंत्रण के लिए किये गये उपायों के संदर्भ में राज्यसभा सांसद विनय सहस्रबुद्धे सहित कुछ भाजपा नेताओं द्वारा की गई आलोचना से असहमति जताई। उन्होंने कहा, 'महाराष्ट्र में

कोविड से 30,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। यह कैसे हुआ ?' केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि क्या वे लोग भी ₹भाभी जी पापड़₹ खाने से ठीक हो गए ? मेघवाल अपने एक बयान को लेकर विवाद में आये थे कि पापड़ के एक ब्रांड 'भाभी जी पापड़' में प्रयोग होने वाली सामग्रियों से कोविड-19 से लड़ने के लिए शरीर में आवश्यक एंटीबॉडी के निर्माण में मदद मिलती है।

राउत ने आगे कहा कि सभी राज्य महामारी से निपटने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि विपक्ष शासित राज्य जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और दिल्ली खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, और केवल भाजपा के नेतृत्व वाले राजग शासित राज्य इस लड़ाई में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'हमें एक दूसरे पर उंगलियां नहीं उठानी चाहिए।' उन्होंने जोर दिया कि शिवसेना इस बात पर कायम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। राउत ने आरोप लगाया कि एक सितंबर से, केंद्र ने महाराष्ट्र सरकार पर 350 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ डालते हुए, पीपीई किट और मास्क जैसे चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति बंद कर दी है।

उन्होंने कहा कि यदि केंद्र चाहता है कि राज्य अपने दम पर कोविड की लड़ाई लड़े तो उसे सभी राज्यों के बकाया वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के हिस्से का भुगतान करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि पीएम केयर फंड भी सभी राज्यों के लिए है, और उनके हिस्से का धन जारी किया जाना चाहिए। उनकी पार्टी की सहयोगी, पहली बार सांसद बनीं, प्रियंका चतुर्वेदी ने भी महामारी के खिलाफ लड़ाई का 'राजनीतिकरण' किये जाने पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हर एक राज्य को अपने यहां चिकित्सा उपकरणों का इंतजाम खुद से करने के लिए कहा गया है उन्होंने कहा, 'यह देखते हुए कि राज्य सरकारें पहले से ही अपने नियत जीएसटी का हिस्सा नहीं मिलने के कारण भारी वित्तीय बोझ का सामना कर रही हैं, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि राज्य अपनी पहल जारी रखें।'

केरल के मंत्री जलील एनआईए के समक्ष पेश

कोच्चि/तिरुवनंतपुरम, भाषा। केरल के उच्च शिक्षा मंत्री के. टी. जलील सोने की तस्करी के मामले की जांच कर रहे एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) के दल के समक्ष बृहस्पतिवार को पेश हुए। जलील पर राजनयिक माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात से कुरान की प्रतियां प्राप्त करने में एफसीआरए के उल्लंघन के आरोप हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जलील के खिलाफ विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) के कथित उल्लंघन के एक मामले की जांच कर रहा है। जलील सुबह करीब छह बजे एक निजी कार में यहां एनआईए के कार्यालय पहुंचे। मंत्री ने मीडिया से बचते हुए सुबह एनआईए कार्यालय पहुंचने का प्रयास किया लेकिन उनके प्रयास सफल नहीं हो सके और एक मलयालम समाचार चैनल के कैमरों में वह कैद हो गये।

कांग्रेस और भाजपा समेत विपक्षी पार्टियों ने पूरे राज्य में प्रदर्शन किया और पिनारयी विजयन के नेतृत्व वाली सरकार से इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई में कांग्रेस, भाजपा और मुस्लिम लीग के कई कार्यकर्ता घायल हो गये। पलक्कड़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए विधायक वी टी बालाराम ने आरोप लगाया कि पुलिस कार्रवाई बिना किसी उकसावे के हुई और उन्होंने जांच की मांग की। एक पुलिस अधिकारी ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया, ''पल्लकड़ में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प में 12 अधिकारी घायल हो गये। इसमें एक अधिकारी भी घायल हो गया।'' एनआईए कार्यालय परिसर पर भी कांग्रेस और भाजपा की युवा इकाइयों के कार्यकर्ताओं ने अलग-अलग विरोध प्रदर्शन किये। मंत्री ने इससे पहले यह स्वीकार किया था कि पवित्र कुरान की खेप उन्होंने तिरुवनंतपुरम स्थित संयुक्त अरब अमीरात के दूतावास से प्राप्त की, जिसके बारे में सीमा शुल्क विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि 'प्राथमिक तौर पर यह एफसीआरए' के उल्लंघन का मामला है।

पीडीपी नेता नईम अख्तर हिरासत से रिहा

श्रीनगर, भाषा। पीडीपी नेता एवं पूर्व मंत्री नईम अख्तर ने बृहस्पतिवार को बताया कि उन्हें जम्मू-कश्मीर प्राधिकारियों ने 407 दिन हिरासत में रखने के बाद रिहा कर दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले साल अगस्त में संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया था। पीडीपी नेता ने कटाक्ष करते हुए ट्वीट किया, ''407 दिन हिरासत में रखने के बाद मुझे सूचित किया गया कि मैं घूमने के लिए आजाद हूं। हमारी जमीन पर बड़ी त्रासदियों को अंजाम देने के बाद छोटी-मोटी दया करने के लिए शासकों का धन्यवाद।

टाइटन बायोटेक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: A-902A, RIICO औद्योगिक क्षेत्र, फेज - III, भिवाड़ी, राजस्थान
वेबसाइट: www.titanbiotechltd.com
CIN: L74999RJ1992PLC013387 | Ph .: 011- 27674615
ईमेल: cs@titanbiotechltd.com / hrd@titanbiotechltd.com

मेसर्स टाइटन बायोटेक लिमिटेड की इक्विटी शेयरधारको को नोटिस

विषय: बिना दावे के लाभांश

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि कंपनी के रिकॉर्ड और संबंधित बैंक द्वारा प्रस्तुत विवरण के अनुसार, कुछ लाभांश अधिपत्र अभी भी बिना दावे के हैं।

कृपया ध्यान दें कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 (5) के प्रावधान के अनुसार, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी (अकाउंटिंग, ऑडिट, ट्रांसफर और रिफंड) नियम, 2016 और आईसीएसआई द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानक के साथ पढ़ें, लाभांश की राशि देय तिथी से 7 (सात) वर्ष की अवधि के लिए बिना दावे के शेष है, जिसके कारण यह इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटक्शन फण्ड ("आईईपीएफ") में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है। **कृपया सूचित किया जाए कि IEPF को लावारिस लाभांश राशि के हस्तांतरण के बाद, भुगतान का कोई भी दावा उसके रजिस्ट्रार कंपनी / कंपनी के संबंध में नहीं होगा। कृपया यह भी ध्यान दें कि वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए बकाया लाभांश का दावा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2020 है।**

इसलिए, आपसे अनुरोध है कि **बुधवार, 30 सितंबर, 2020 तक** सभी नवीनतम / पुराने लाभांश अधिपत्र को पूरा करने के लिए संलग्न पत्र को निष्पादित करके अपना **दावा प्रस्तुत करें।** यदि आपने पहले ही अपने लाभांश का दावा कर दिया है, तो कृपया इस पत्र पर ध्यान न दें।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 (6) के प्रावधानों के अनुसार, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटक्शन फण्ड प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियम, 2016 के साथ पढ़ें, जिसमें लाभांश के संबंध में सभी शेयरों के हस्तांतरण का प्रावधान है आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में 7 (सात) या उससे अधिक वर्षों के लिए शेयरधारकों द्वारा भुगतान या दावा नहीं होने के कारण, ऐसे शेयरों के 30 दिनों की अवधि के भीतर कोष में स्थानांतरित होना है।

यह आपके ध्यान में लाया जाता है कि जब तक और जब तक हम सभी मामलों में पूर्ण या बाधक लाभांश अधिपत्र को पूरा करने के उक्त पत्र प्राप्त नहीं होंगे , तब तक हम आपके बकाया/बिना दावे का लाभांश को जारी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि आप किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार होंगे जो आपके द्वारा बाद में स्थापित किए जाने के मामले में हो सकता है कि मूल और डुप्लिकेट वारंट (दोनों) आपके द्वारा या किसी अन्य पार्टी द्वारा आपकी खुद की लापरवाही / मिलीभगत के कारन इनकैश किया गया हो आपको अन्य कानूनी परिणामों का सामना करने के अलावा, 18% प्रति वर्ष ब्याज के साथ दो बार भुगतान की गई दावा राशि वापस करनी होगी।

इसके अलावा, आपसे अनुरोध है कि संलग्न ईसीएस अपडेशन फॉर्म (यदि पहले जमा नहीं किया गया है) को अनिवार्य रूप से भरे और भविष्य में लाभांश अधिपत्र के धोखाधड़ी / धोखाधड़ी से बचने के किसी भी देरी / नुकसान से बचने के लिए हमें उपरोक्त अनुरोध के साथ ही भेजें। किसी भी अन्य प्रश्न के लिए कृपया श्री चरणजीत सिंह से 011-27355742 पर संपर्क करें या **hrd@titanbiotechltd.com** पर ईमेल करें।

आपका आभारी
टाइटन बायोटेक लिमिटेड के लिए
हस्ता/ -
चरणजीत सिंह
कंपनी सचिव

स्थान : दिल्ली
दिनांक: 27/07/2020